

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
संचालित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे संविचार हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

**प्रेषक :**

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 6077

दिनांक: 21.2.13

**// सूचना //**

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शिवनाथ सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-2630510) को  
सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित पोस्ट बैचिक बी.एस.-सी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी  
सम्बद्धता हेतु अनुरूपाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महानेत्र द्वायारी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने  
विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजाचार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442822)

(2) डॉ. सुखदा शर्मा, बी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।

(3) डॉ. हेमन्त शर्मा, आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।


(4) डॉ. केशव सिंह गुर्जर, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर भूल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम/आडिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुरूपाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर दिये गये विरीक्षणानुसार विरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का विरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में विरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय विरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में लिम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के विर्द्धशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की वित्ती में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का विरीक्षण नहीं हुआ है। विवाजानुसार अर्थदृष्ट जमा कराकर बदीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में विरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवार्य होगा। परिवियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुरियति से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

**प्रतिलिपि :-**

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्ग करावे की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)